



छत्तीसगढ़ विधान सभा
दिसम्बर-2022 से जनवरी, 2023 सत्र
दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023 (पौष 14,1944)

समय 11:00 बजे दिन

की अनुपूरक कार्यसूची

बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 की दैनिक कार्यसूची के पद क्रम 6 शासकीय विधि विषयक कार्य के पश्चात् नवीन पद निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ा जाये:-

7. उपाध्यक्ष का निर्वाचन

- (1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री संत राम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री टी.एस. सिंहदेव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
- (2) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री संत राम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
- (3) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी -
"श्री संत राम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगी।
- (4) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री संत राम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री रामपुकार सिंह ठाकुर, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
- (5) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री संत राम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री अरुण वोरा, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
- (6) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री संत राम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री शिशुपाल सोरी, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।
- (7) श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -
"श्री संत राम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाय।"
श्री सौरभ सिंह, सदस्य, उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

निर्धारित समय

1 घंटा (1)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (2)

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि—छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

9. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

- (1) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, जांच समिति, प्रस्ताव करेंगे कि— “कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किया जाने और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति” का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।
- (2) श्री संतराम नेताम, सभापति, जांच समिति, प्रस्ताव करेंगे कि— “शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति” का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।
- (3) श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि— विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

रायपुर,
दिनांक 4 जनवरी, 2023

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.